प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–30.11.2022

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लु0जे0सी0 सं0 12514/2022, तथा अन्य समरूप वाद में दिनांक 04.10.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की प्रक्रिया/तैयारी में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होने के फलस्वरूप प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए क्रमश: दिनांक 10.10.2022 एवं 20.10.2022 को निर्धारित मतदान की तिथि को तत्काल स्थगित किया गया था, पुनः समर्पित आयोग (Dedicated Commission) से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र संख्या- 10न0वि0/विविध-39/2022-3432/न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक- 30.11.2022 द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन कराये जाने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरांत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 हेतु प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक 28.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022 निर्धारित किया गया है।

प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन के निमित सभी नगरपालिका के सभी पदों हेतु किये गये नामांकन, संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी उपरांत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रपत्र-14(ख) में आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुसार निर्वाचन कराया जायेगा।

नगरपालिका निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हैं तथा नगरपालिकाओं के मतगणना उपरांत विधिवत रूप से परिणाम घोषणा के पश्चात स्वत: समाप्त हो जायेगी।

उल्लेखनीय है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के निर्वाचन संचालन के क्रम में आयोग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्गत आदेश प्रभावी रहेंगे।

30/11/22

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।